

18647/13




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP00142643820358L
Certificate Issued Date : 01-Oct-2013 04:51 PM
Account Reference : NONACC (BK)/ upcorbk02/ LUCKNOW/ UP-LKN
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPCORBK0200152482797318L
Purchased by : BASERA CITYDEVELOPERS PRIVATE LIMITED
Description of Document : Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description : 17/GH-02 GROUP HOUSING VRINDAVAN YOJNA LUCKNOW
Consideration Price (Rs.) : 26,09,21,200
(Twenty Six Crore Nine Lakh Twenty One Thousand Two Hundred only)
First Party : U P AWAS EVAM VIKAS PARISHAD
Second Party : BASERA CITYDEVELOPERS PRIVATE LIMITED
Stamp Duty Paid By : BASERA CITYDEVELOPERS PRIVATE LIMITED
Stamp Duty Amount(Rs.) : 1,82,65,300
(One Crore Eighty Two Lakh Sixty Five Thousand Three Hundred only)



Please write or type below this line



अविन्दी
17/10/2013 10:47:16



सहायक आयुक्त आयुक्त
वृन्दावन योजना विभाग

0000000211

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at www.shelastamp.com. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of this certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

96AB 60371

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
गुपहाउसिंग भूखण्ड के लिए किराया किरत कय का अनुबन्ध

यह अनुबन्ध आज दिनांक.....०३.....माह.....१०.....दो हजार.....२२५ को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन संगठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है और जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के जिसे एतदपश्चात 'स्वामी' कहा गया है, जिस पद के अन्तर्गत जब तक कि कोई बात प्रसंग से असंगत न हो उसका उत्तराधिकारी या समनुदेशिनी भी है या जिसका तात्पर्य उसके उत्तराधिकारी या समनुदेशिनी भी है।

कमशः 2 पर

Handwritten signature
जोषी

Handwritten signature

सहायक आगत आयुक्त
रामावन रोडना, नगर

(2)

माध्यम से होता है । एक पक्ष और B.A.SERA CITY DEVELOPERS LIMITED, निदेशक श्री ज्ञान प्रकाश मणि त्रिपाठी पुत्र श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी पता:- 6-127, सहारा प्लाजा पत्रकारपुरम, गोमती नगर, लखनऊ जिसे एतत्पश्चात किराया-किश्त कंता कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत जब तक कि प्रसंग या अर्थ से कोई बात असंगत न हो, इसमें एतत्पश्चात यथा उपबन्धित अनुमोदित नाम निर्देशिती और चुसके न होने पर उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिती भी है, दूसरे पक्ष के बीच किया गया ।


चूंकि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की एक ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड आवंटन योजना के अधीन किराया-किश्त कंता ने स्वामी से किराया किश्त कय योजना के अधीन एक ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का आवंटन करने के लिये पृथक रूप से आवेदन किया है और स्वामी ने एतत्पश्चात निर्धारित निबन्धन और शर्तों पर किराया-किश्त कंता को ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का आवंटन करने के लिए आवंटित करने की सहमति दे दी है ।

और चूंकि किराया-किश्त कंता ने रू० 7,82,79,360.00 (शब्दों में केवल रू० सात करोड़ बयासी लाख उनन्यासी हजार तीन सौ साठ मात्र) का भुगतान प्रथम किश्त के रूप में कर दिया है जिसमें टोकन हेतु जमा बयाना धनराशि सम्मिलित है ।

उक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 17/GH-02 का कुल मूल्य रू० 26,09,31,200.00 (छब्बीस करोड़ नौ लाख इकत्तीस हजार दो सौ मात्र) जिसका आधा रू० 13,04,65,600.00 (तेरह करोड़ चार लाख पैसठ हजार छः सौ मात्र) होता है। आवंटनी द्वारा यदि किश्तों का नियमित भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे नियमानुसार ब्याज/दण्ड बयाज भी देय होगा ।

अब यह विलेख इस बात का साक्षी है कि स्वामी एतद्द्वारा किराया-किश्त कंता से प्रसंविदा करता है और सहमत है और किराया-किश्त भी एतद्द्वारा स्वामी से निम्नलिखित रीति से प्रसंविदा करता है और सहमत है अर्थात् ।

1- किराया -किश्त कंता को ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के रूप में सम्पत्ति का जिसका संख्या 17/GH-02 है और जो वृन्दावन योजना संख्या-4 के लखनऊ में सेक्टर संख्या 17 में स्थित हैं। और जिसे अधिक स्पष्ट करने के लिये इसमें आगे दी गयी अनुसूची-एक में सीमाओं के साथ अधिक विशिष्ट रूप से वर्णित किया गया है, कब्ज दिया जायेगा ।





कमरा: 3 प

सहायक आगत आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

(3)

2-किराया-किश्त केंता उक्त सम्पत्ति किरायेदार के रूप में निम्नलिखित शर्तों व अधीन 06 (छः) वर्ष की एक नियत अवधि तक ग्रहीत करेगा जो वर्ष दो हजार तेरह के अक्टूबर-13 मास के प्रथम दिनांक से प्रारम्भ होगी और वर्ष 2019 के अक्टूबर मास के अन्तिम दिनांक को समाप्त होगी:-


(3) किराया-किश्त-केंता स्वामी की ओर किसी मांग के बिना किश्त कर अवधि की समाप्ति तक प्रत्येक मास के 01.10.2013 दिनांक प्रथम का केवल रू० 1,13,84,689.00 की त्रैमासिक किश्त का भुगतान करेगा।

(क) किराया-किश्त-केंता रू० 1,13,84,689.00 (रू० एक करोड़ तेरह लाख चौरासी हजार छः सौ नवासी मात्र) की त्रैमासिक किश्त मांग की प्रतीक्षा किए बिन उसी माह में जिसमें मासिक किश्त देय हो जाय, प्रत्येक माह के प्रथम दिनांक तक स्वामी के कार्यालय में या निर्दिष्ट स्थान पर भुगतान करेगा जिसका ऐसा प्रथम भुगतान इसमें ऊपर उल्लिखित किराया-किश्त केंता द्वारा पहले ही कर दिया गया और जिसे माह अक्टूबर-13 की प्रथम किश्त के रूप समझा जाय और ऐसा आगामी भुगतान वर्ष- 2014 के माह जनवरी-14 के अन्तिम दिनांक को या उसके पूर्व प्रत्येक कैलेण्डर मास के तुरन्त बाद किराया-किश्त कर की अवधि तक देय हो जाय या भुगतान योग्य हो जाय।


(ख) किराया-किश्त को आवंटन की योजना में यथा निर्धारित नगरपालिका के या अन्य प्रकार के सभी करों, फीस, प्रभार निर्धारित कर ऐसे अन्य उदग्रहण की धनराशि का चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, जो स्थानीय निकाय द्वारा या राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी अन्य प्राधिकृत अभिकरण द्वारा उसके सम्बन्ध में भू-स्वामी या किरायेदार को एतद्द्वारा किराये पर दी गयी उक्त सम्पत्ति पर लगाई गयी हो प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध प्राधिकारियों को भुगतान करेगा। किराया-केंता-स्वामी के सम्पत्ति कर, जल प्रभार, सीवर व्यवस्था के प्रभार का, जैसा कि स्वामी द्वारा समय-समय पर उदग्रहीत किया जाय, भुगतान करेगा।

परन्तु किराया-किश्त केंता की ओर से ऐसा भुगतान न किये जाने की दशा में स्वामी का ऐसी देय धनराशि को भू-राजस्व के बकाये के रूप में या ऐसी अन्तरीति से जो विधि संगत हो, वसूल करने और उसे किश्त के बकाये के रूप में मान की शक्ति होगी।

(ग) किराया-किश्त केंता सम्पत्ति के साथ-साथ सम्भरण, जल निस्तारण, बिजली औ किन्हीं ऐसी अन्य सेवाओं से सम्बन्धित उसके प्रतिष्ठानों की मरम्मत (जिसे पद अन्तर्गत सामान्य और आवश्यक वार्षिक भीतरी और बाहरी रंगाई और पुताई, सफाई भी) स्वामी के या ऐसे व्यक्ति के जिसे स्वामी इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करे, समाधानप्रद रूप से स्वयं अपने खर्च पर करायेगा और उसे समुचित रूप से ठीक दशा और स्थिति रखेगा।



आवन्ती


वहायत आगत आयुक्त
रसावर शंकरा, रचना

कमशः 4 प

(4)

(घ) किराया-किश्त क्रेता ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई बात नहीं करेगा या करने देगा जो स्वामी या उसी कालोनी के अन्य गुप हाउसिंग भूखण्डों के अध्यासियों की या पडोसियों की राय में लोक कण्टक हो और जो उस प्रयोजन के अनुरूप न हो जिसमें लिये योजना बनाई गई।

(ङ) किराया-किश्त क्रेता एतद्वारा स्वीकृत अवधि के दौरान सभी युक्तियुक्त समय पर स्वामी या स्वामी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किन्हीं व्यक्तियों को उक्त सम्पत्ति और उस पर प्रवेश करने की मरम्मत की स्थिति का निरीक्षण करने की अनुमति देगा और यदि ऐसा निरीक्षण करने पर स्वामी को यह प्रतीत हो कि कोई साम्प्रतिक या विशेष मरम्मत आवश्यक है तो स्वामी किराया-किश्त क्रेता के खर्च पर करवा सकता है और किराया-किश्त क्रेता एतद्वारा स्वामी को ऐसी धनराशि का भुगतान करके जिर स्वामी (जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा) इस निमित्त नियत करे ऐसे खर्च की प्रतिपूर्ति करने की सहमति देता है।

(च) किराया किश्त क्रेता स्वामी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को उक्त सम्पत्ति में उस पर ऐसे कर्मकारों के साथ प्रवेश करने की अनुमति देगा जो पाइप- लाइन सीवर लाइन या कोई विद्युत आपूर्ति लाइन या उससे सम्बन्धित किसी कार्य के लिए कोई सर्विस लाइन बिछाने, उसकी मरम्मत करने या उसे निश्चित स्थान पर लगाने के प्रयोजन के साथ-साथ उक्त सम्पत्ति में बिछाई गयी किसी सर्विस लाइन से किन्हीं अन्य सम्पत्ति को जोड़ने के प्रयोजन के लिये आवश्यक हो।

(छ) किराया-किश्त क्रेता स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना और सम्बद्ध प्राधिकार को लिखित स्वीकृति या अनुमति के बिना भी उक्त सम्पत्ति में कोई परिवर्तन, परिवर्द्धन नहीं करेगा और परिषद द्वारा पहले से स्वीकृत निर्माण पर कोई परिवर्तन, परिवर्द्धन या करने की अनुमति नहीं देगा। परन्तु स्वामी अपने विवेकानुसार किराये पर परिवर्तन या परिवर्द्धन, चाहे जो भी हो, के लिये ऐसी अनुमति देने से इन्कार कर सकता है और उस निमित्त उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(ज) किराया- किश्त क्रेता स्वामी की लिखित पूर्व सहमति के बिना जिसे वह अपने स्पष्ट विवेकानुसार अस्वीकृत करने का हकदार होगा, उक्त सम्पत्ति के सम्पूर्ण किसी भाग का विक्रय, अन्तरण, समनुदेशन नहीं करेगा या कच्चे से अन्यथा अलग न होगा। परन्तु सहमति दिये जाने की दशा में सम्पत्ति का ऐसा प्रत्येक अन्तः समनुदेशन केवल इस किरायेदारी की शेष अवधि के लिए होगा और यथारिथ अन्तरिती या समनुदेशिती इसमें दिये गये निबन्धनों और शर्तों से आवद्ध होगा 3 उसकी सभी बातों के लिये स्वामी के प्रति उत्तरदायी होगा

5/11/1971
M

सहायक प्रशासक आयुक्त
पुणे नगरपालिका, पुणे

कमरा: 5

परन्तु यह भी कि ऐसा कोई भी समनुदेशन या अन्तरण वैध या अनुमन्य नहीं होगा जहां समनुदेशिनी या अन्तरिनी कोई ऐसा व्यक्ति है जो योजना में यथा उपबन्धित पात्रता की अपेक्षाओं को पूरा न करता हो।

(झ) किराया-किश्त कंता इस किरायेदारी की अवधि के दौरान इसमें नीचे दी गयी अनुसूची-दो में दिये गये किरायेदारी सम्बन्धी अनुबन्धनों का पालन करेगा।

(ञ) किराया किश्त कंता किसी भी स्तर पर किन्हीं कारणों से चाहे जो भी हों जैसा कि योजना में सम्पत्ति के विभव के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से उपबन्धित है सम्पत्ति के बारे में ऐसी शिकायत करने से विरत रहेगा जिससे आपत्तियां उठे या दावे प्रस्तुत किये जाये।

(ट) किराया-किश्त कंता इस योजना के अधीन उसपर जाने वाले ऐसे सभी उत्तर दायित्वों का निर्वाहन करेगा जो इस विलेख के अंग समझे जायेंगे और इनके बारे में इस अनुबन्ध पत्र के पक्षकारों के बीच एतद्वारा सहमति है।

(ड) उक्त सम्पत्ति कराया-किश्त कंता के हित के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकता है। फिर भी किराया-किश्त कंता एतद्वारा स्वामी को किसी ऐसी सम्भाव्यता के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति करने का बचन देता है।

(ड) किराया किश्त कंता किसी भी प्रकार की दुर्घटना के फलस्वरूप उक्त सम्पत्ति को क्षति पहुंचने या उसके नष्ट होने की दशा में एतद्वारा स्वामी को किसी भी उत्तरदायित्व से मुक्त करना है।

परन्तु इस अनुबन्ध के प्रवृत्त रहने तक किराया किश्त कंता का यह कर्तव्य होगा कि सह इस बात का ध्यान रखे कि भूखण्ड उपयोग के कारण उचित टूट-फूट के छोड़कर उसी दशा में बना रहे जिसमें वह प्रारम्भ में सौंपा गया था। किसी प्राकृतिक कारण से या आग लग जाने से क्षति होने की दशा में किराया-किश्त कंता का यह कर्तव्य होगा कि वह भवन को पुनः उसकी मूल दशा में लाने के लिये आवश्यक मरम्मत कराये। भवन का आग लग जाने के जोखिम के प्रति परिषद द्वारा अनुमोदित बीमा कम्पनी से अनिवार्य रूप से बीमा कराया जायेगा आग लग जाने से क्षति होने की दशा में परिषद का दायित्व उस सम्बन्ध में परिषद को मिलने वाली बीमा की धनराशि तक ही सीमित होगा।

2/1/15
2/1/15
A

सहायक आगत आयुक्त
संयोजक, 2/1/15

(6)

(ढ) किराया-किश्त केंता अपने जीवन काल में लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर से ऐरो नाम निर्देशिती को, जिसे वह उक्त सम्पत्ति में, जिससे उसकी मृत्यु हो जाने के रिथति में भूखण्ड के भावी स्वामित्व में उसका अधिकार भी सम्मिलित है, अपना अंश या हित अन्तरित करना चाहे, नाम निर्दिष्ट करेगा और उसे आवास आयुक्त के पास जमा कर देगा स्वामी किराया-किश्त केंता की मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर तदनुसार अन्तरण करेगा. जो स्वामी और सार्वजनिक निकायों के प्रति किराया-किश्त केंता के समस्त विद्यमान दायित्वों और बध्यता के अधीन होगा । इस प्रकार किये गये नाम निर्देशन को विखण्डित किया जा सकता है और किराया-किश्त केंता उपर्युक्त रीति से उसके स्थान पर दूसरा नाम निर्देशन कर सकता है ।

परन्तु किराया-किश्त केंता द्वारा ऐसा नाम निर्देशन न किये जाने पर केंता के वारिस/वारिसों को स्वामी द्वारा इस विलेख के हिताधिकारी/हिताधिकारियों के रूप में स्वीकार किया जायेगा ।

(ण) किराया किश्त केंता देयों का जिनका इस विलेख के अनुसूचन में उसके द्वार भुगतान किया जाना अपेक्षित है। पूरा और नियमित भुगतान करेगा। किश्तों के भुगतान के लिए उनके देय होने के दिनांक से एक मास की छूट दी जायेगी।

वह किश्त में सम्मिलित साधारण ब्याज के अतिरिक्त प्रदेशन पत्र में उल्लिखित 17 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दण्ड ब्याज के भुगतान का देनदार होगा; यदि भुगतान छूट की अवधि के भीतर न किया जाय तो किराया-किश्त केंता तदनुसार किश्तों के वस्तुतः देय होने के दिनांक से निर्धारित 17 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के भुगतान का देनदार होगा लगातार तीन से अधिक किश्तों का भुगतान करने में व्यक्ति कम होने की दशा में किरायेदारी समाप्त समझी जायेगी और केंता को बेदखल किय जा सकेगा । स्वामी को देय समस्त बकाया धनराशि को भू-राजस्व के रूप में या ऐस अन्य रीति से, जिसका विधि समर्थन करे, वसूल किया जा सकेगा । किराया-किश्त क जल सम्पूर्ति कनेक्शन तथा विद्युत कनेक्शन भी विच्छेदन किया जा सकेगा तथ निर्धारित शर्तों प्रकिया से पुनः संयोजन किया जा सकेगा ।

(त) यदि किराया-किश्त केंता सम्पत्ति या साझा भाग या साझा सेवाओं का उपयोग इस ढंग से करता है कि उसे क्षति पहुचे या उसका क्षय हो या गलत कार्य के लि उसका उपयोग हो, तो किराया-किश्त केंता ऐसी क्षति क्षय होने या गलत उपयोग किये जाने के लिये स्वामी या पंजीकृत अभिकरण की तत्सम्बन्धी प्रभार का भुगतान करेगा ।

21/8/56/21 2/1/1/4/81

21/8/56/21



सहायक भाग्यस आयुक्त
भूखण्डन विभाग, जयपुर

कमशः 7 प

(8)

3 स्वामी एतद्वारा किराया-किश्त कंता को किराया-किश्त कय की अवधि की समाप्ति के पश्चात विहित प्रपत्र में उसके साथ हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करके उक्त सम्पत्ति का अन्तरण करने के लिए सहमत है, परन्तु यह कि उसने ऐसे निष्पादन के पूर्व स्वामी को और सार्वजनिक निकायों को, यदि कोई हो, सभी देयों का भुगतान कर दिया हो। किराया-किश्त कंता इसके बाद किरायेदार नहीं रहेगा और पैरा 5 में यथा उपबन्धित निष्पादित किये जाने वाले हस्तान्तरण विलेख के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सम्पत्ति का सम्पत्ति के रूप में स्वामी हो जायेगा।

4- यदि उक्त विनियमों और उनके अधीन किये गये अनुबन्ध की शब्दावली के निर्वचन के या अनुबन्ध के अनुसार किये गये या किये जाने के लिए प्रस्तावित किसी विनिश्चय के बारे में कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न हो तो आवारा आयुक्त विनिश्चय करेंगे और किराया-किश्त कंता के लिए संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक ऐसा विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगा

(10)

अनुसूची- 1

वृन्दावन योजना लखनऊ स्थित निर्माण खण्ड- 11 के सभी गुप हाउसिंग भूखण्ड जिसकी संख्या 17/GH-02 एवं भूमि का क्षेत्रफल 8936.00 व०मी० है। सम्पत्ति की सीमा निम्नलिखित है :

उत्तर- गुप हाउसिंग भूखण्ड सं० 17/GH-01	उत्तर- 111.70	मीटर
दक्षिण- गुप हाउसिंग भूखण्ड सं० 17/GH-03	दक्षिण- 111.70	मीटर
पूर्व- 30.00 मीटर चौड़ी सड़क	पूर्व- 80.00	मीटर
पश्चिम- गुप हाउसिंग भूखण्ड सं० 17/GH-05	पश्चिम- 80.00	मीटर

इस किराया किश्त कय अनुबन्ध पर परिषद की ओर से श्री बी०के०सिंह, सहायक आवास आयुक्त ने तथा आवटी BASERA CITY DEVELOPERS LIMITED, निदेशक श्री ज्ञान प्रकाश मणि त्रिपाठी आशयिता 17/GH-02 ने स्वयं स्वेच्छा से हस्ताक्षर किये है।

5/10/2021 दिनांक 5/10/21
आवटी

कमरा: 9 पर

सहायक आवास आयुक्त
एश्यादन रोड, न०२२

(9)


अनुसूची-2

इस अनुबंध पत्र पर इसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों के उपरोक्त दिनांक, मास और वर्ष को अपने हस्ताक्षर किए :-


स्थान लखनऊ

दिनांक


प्रथम साक्षी हस्ताक्षर

- 1-हस्ताक्षर : 
- 2-नाम : आजितीवारी
- 3-पता : जंमला निवासी (191) गोरखपुर


द्वितीय साक्षी हस्ताक्षर

- 1-हस्ताक्षर : 
- 2-नाम : हेरिउपक्षर
- 3-पता : श्री श्री रागा (श्री) बुनानाला
जिला गोरखपुर


प्रथम साक्षी

- 1-हस्ताक्षर : 
- 2-नाम :
- 3-पता :

- 1-हस्ताक्षर : 
- 2-नाम :
- 3-पता :

किराया किश्त कंता का
सुपाठय हस्ताक्षर और पता)


- 1- हस्ताक्षर:-
- 2-फर्म: BASERA CITY DEVELOPERS LIMITED
- निदेशक श्री ज्ञान प्रकाश मणि त्रिपाठी
- 3-पता:-सहारा प्लाजा पत्रकारपुरम
गोमती नगर लखनऊ।


परिषद की अंश से एवं उसके लिए

सहायक आवास आयुक्त
पहापक यागोत आयुक्त
.....

(10)

किरायेदारी-सम्बन्धी उपबन्ध

- (1) यह उपबन्ध किराया-किश्त कंता पर लागू होंगे जो और जिसके साथ-साथ उसके फ्लैट/भूखण्ड/भवन का प्रत्येक उपयोगकर्ता संयुक्त रूप से पृथक-पृथक उनका पालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (2) किराया-किश्त कंता अपने फ्लैट/भवन/भूखण्ड के भीतर, कूड़े, रद्दी कागजों, बुहारन, रसोईघर और भोजन की अपशिष्ट सामग्री, कूड़ा-करकट और इसी प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए एक पात्र (कूड़ादान) रखेगा और प्रत्येक व्यक्ति ऐसी बेकार चीजों को एक ऐसे पात्र में डालेगा और कहीं अन्यत्र नहीं डालेगा।
- (3) ऐसे पात्र में पड़ी हुई सामग्री को प्रतिदिन, उसे रास्ते में बिखराये बिना, इस प्रयोजन के लिए आरक्षित स्थान पर डालेगा।
- (4) स्नानघर और शौचलय जैसी स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग इस ढंग से किया जायेगा कि कोई नाली कूड़ा-करकट, रद्दी कागज, बुहारन या इसी प्रकार की चीजों से रुकने न पावे।
- (5) किसी कूड़ादान या कचरा रखने की पेंटी को किराया-किश्त कंता के फ्लैट/भवन/भूखण्ड के बाहर या गलियारों या रास्तों में नहीं रखा जायेगा।
- (6) भवन के साझे के भाग खुले स्थान का उपयोग मूत्रालय के रूप में नहीं किया जायेगा।
- (7) किराया-किश्त कंता के फ्लैट/भवन/भूखण्ड या साझा भाग के या सड़क के किसी भाग में कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं बिखेरा जायेगा और चारों ओर पास-पड़ोस को स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखा जायेगा।
- (8) फ्लैट/भवन/भूखण्ड के या कालोनी के किसी भाग का उपयोग खतरनाक ज्वलनशील, या आपत्तिजनक सामग्री रखने या उसका भण्डार या ढेर लगाने के लिये नहीं किया जायेगा।
- (9) भवन के किसी भाग में एक दुधारू गाय या भैस के अतिरिक्त किसी पशु या पक्षी को उस प्रयोजन के लिए उपयुक्त व्यवस्था किये बिना नहीं रखा जायेगा।
- (10) प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा कि सम्पत्ति को कोई क्षति न हो या उसका क्षय न हो।
- (11) प्रत्येक व्यक्ति इस बात की सावधानी रखेगा कि पानी का नल या उसकी फिटिंग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और बिजली की लाइन और उसकी प्रतिष्ठापन को किसी से कोई बिगाड़ने न पाये।
- (12) सम्पत्ति का दुरुपयोग जैसे साझा गलियारा, साझा रास्ता, सीढ़ियाँ, चबूतरा प्रवेश मार्ग बनाने के लिए नहीं किया जायेगा, न करने की अनुमति दी जायेगी।

कमरा: 11 पर

साझे प्रमुख मंत्री
आवृत्ति

सहायक आवास आयुक्त
नया बजार, नया बजार

(11)

(13)परिसर में कोई वाहन लाने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा कि निवासियों के निर्वाह आवागमन में कोई अवरोध उत्पन्न न हो।

(14)उपर्युक्त किसी भी अनुबन्ध का पालन न करना अनुबन्ध के निबन्धनों का उल्लंघन करना होगा और परिषद ऐसी उल्लंघन के लिए किराया-किश्त कैला के विरुद्ध उनके बीच निष्पादित अनुबन्ध के अधीन उसमें निहित शक्ति के अनुसार कार्यवाही करेगी।

(15) गुप हाउसिंग भूखण्डों से सम्बन्धित सभी नियम व शर्तें जो समय-समय पर लागू हो, मान्य होगी।

नोट:-(1) अतः शासनादेश सं०वि०क०नि 5-2756/11-2008-500(115)-2007 दिनांक 30.06.2008 के अन्तर्गत 7% की दर से ई स्टाम्प प्रमाण पत्र पर रू० 1,82,65,300.00.किराया किश्त कय अनुबन्ध निष्पादित किया जा रहा है।

वृन्दावन योजना संख्या-4 लखनऊ में स्थित गुप हाउसिंग भूखण्ड सं० 17/GH-02 एवं कुल क्षेत्रफल 8936.00 वर्ग मीटर है। जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा वृन्दावन योजना लखनऊ हेतु निर्धारित भूमि दर रू० 19,500.00 एवं 30.00 मीटर चौड़ी सड़क पर र भूखण्ड होने की दशा में रू० 19,500.00 प्रति वर्ग मीटर है। उक्त भूखण्ड लखनऊ - रायबरेली मुख्य मार्ग से 100 मीटर अधिक दूरी पर स्थित है। भूखण्ड में : समाविष्ट भूखण्ड का क्षेत्रफल 8936.00 मीटर की मालियत रू० 17,42,52,000.00 मीटर है। जिसपर नियमानुसार 7% प्रतिशत की दर से स्टाम्प रू० 1,82,65,300.00 के स्टाम्प पर किराया किश्त कय अनुबन्ध निष्पादित किया जा रहा है।

परिषद द्वारा मालियत रू० 26,09,31,200.00 जिसपर नियमानुसार 7 प्रतिशत की दर से स्टाम्प रू० 1,82,65,300.00 का ई स्टैम्प प्रमाण पत्र नं० IN UP 00142643820358, DATE-01-10-2013 पर किराया किश्त अनुबन्ध निष्पादित किया जा रहा है।

हस्ताक्षर

आवन्टी


फर्म:- BASERA CITY DEVELOPERS LIMITED

निदेशक श्री ज्ञान प्रकाश मणि त्रिपाठी

पता सहारा प्लाजा पत्रकारपुरम

गोमती नगर, लखनऊ।

21/10/13



(बी०के०सिंह)

सहारा प्लाजा पत्रकारपुरम

वृन्दावन योजना, लखनऊ

क्रेता

Registration No. : 18647

Year : 2013

Book No. : L

0201 वसेरा सिटी डेव. लि० द्वारा निदे. ज्ञान प्रकाश भणि त्रिपाठी
प्रकाश भणि त्रिपाठी


बी-127 राहसा प्लाजा पत्रकारपुरम गोमती नगर लखनऊ -
वापार






Office of The Executive Engineer
 Construction Division-II
 U.P. Avas Evam Vikas Parishad
 Office Complex, Vrindavan Yojna, Sector-9,
 Raibareilly Road, Lucknow

Site Plan of G.H. Plot No. 17/G.H.-02, Sector-17
 Vrindavan Yojna No. 4, Lucknow
 Name of Allottee: M/s Basera City Developers Pvt. Ltd.



North: Plot No. 17/G.H.-01
 South: Plot No. 17/G.H.-03
 East: 30.00M Wide Road
 West: Plot No. 17/G.H.-05



Plot Size 80.00m x 111.70 m
 Plot Area 8936.00 Sq.M.

Handwritten notes and signatures at the top left, including a date '27/4/2013' and initials 'A.E.'.

Handwritten notes and signatures at the top right, including a date '26/4/13' and initials 'J.E.'.

D/Man

आज दिनांक 03/10/2013 को
वही नं. 1 जिल्द नं. 16323
पृष्ठ नं. 221 पे 246 पर क्रमांक 18647.
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी .के .सिंह (प्रभारी)

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

3/10/2013

